न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 69/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

भैरू आत्मज अमरा जाति कराड निवासी ग्राम पराणा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी–राज0।
..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री लीलाधर सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 50/प्रार्थना पत्र/18 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा बनाम बनाम भैरू आ0 अमरा जाति कराड नि0 पराना तह0 तालेडा मे पारित निर्णय दिनांक 17.4.2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 26.10.1977 को आवंटन परार्मश दात्री समिति मुकाम डाबी द्वारा ख0 नं0 528/229 रकबा 10 बीघा **13 बिस्वा एवं ख0 सं0 530/230 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा का आवंटन किया गया था।** उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने का पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 17.4.2018 से स्वीकार कर अपीलांट भैरू को हुये उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है, क्योंकि आवंटन के समय से आज तक उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज है एवं भूमि मे अपीलांट ने कोट कर बाडा बना रखा है फिर भी भू माफियाओं ने उक्त भूमि को हडपने के लिए हल्का पटवारी से मिलकर काश्त नही होने बावत रिपोर्ट करवाई एंव तहसीलदार से मिलीभगत करके उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने के लिये उक्त कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के नोटिस अपीलांट को प्राप्त नही हुये बिना सूचना दिये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आवंटन निरस्त करने का दिनांक 17.4.2018 को पारित कर दिया जो अपीलांट के अधिकारों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कुछ भू माफियाओं द्वारा अपीलांट की भूमि हडपने के लिए एक गलत रूप से इकरारनामा दिनांक 7.4.1993 बनाकर अपीलांट की भूमि को निरस्त करवाया है। जबकि अपीलांट द्वारा घीसूलाल आ0 केसरीलाल औझा नि0 पीपलून्द जिला भीलवाडा को अपनी गैरखातेदारी की भूमि का कोई बेचान नही किया गया है और न ही इकरारनामा लिखवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की तामील कराये/सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। एक पक्षीय निर्णय के आधार पर भूमि के सिवायचक दर्ज करने के नामा0 की जानकारी होने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 17.4.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय सुनवाई कर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.4.2018 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत एंव विधि न्याय एवं संचिका मे प्राप्त सिद्धी के सर्वथा प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त होने योग्य है, क्योंकि आवंटन के समय से आज तक उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज है एवं भूमि मे अपीलांट ने कोट कर बाडा बना रखा है फिर भी भू माफियाओं ने उक्त भूमि को हडपने के लिए हल्का पटवारी से मिलकर काश्त नही होने बावत रिपोर्ट करवाई एंव तहसीलदार से मिलीभगत करके उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने के लिये उक्त कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के नोटिस अपीलांट को प्राप्त नही हुये है बिना सूचना दिये ही निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। बहस मे यह भी बताया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा अपीलांट की भूमि हडपने के लिए एक गलत रूप से इकरारनामा दिनांक 7.4.1993 बनाकर अपीलांट की भूमि के आवंटन को निरस्त करवाया है। जबकि अपीलांट द्वारा घीसूलाल आ0 केसरीलाल औझा नि0 पीपलून्द जिला भीलवाडा को अपनी गैरखातेदारी की भूमि का कोई बेचान नही किया गया है और न ही इकरारनामा लिखवाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 17.4.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 26.10.1977 को भैरू आ0 अमरा जाति कराड निवासी ग्राम पराना को आवंटन किया गया था पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

1.8.2017 अनुसार उक्त आवंटिज भूमि पर मौके पर गैर खातेदार कब्जा काश्त नही है तथा भूमि मौके पर पडत पडी हुई है जिस पर कोटा बाडा बना हुआ है। आवंटी द्वारा उक्त आराजी को जरिये विक्रय इकरारपत्र दिनांक 7.4.1993 को घींसूलाल आ0 केशरीमल औझा नि0 पीपलुन्द जिला भीलवाडा को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार गैरखातेदार द्वारा भूमि बावत आवंटन शर्तो का उल्लघंन किये जाना साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का आध्योपांत अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया कि जेरअपील निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया है। उक्त निर्णय के आधार पर भूमि के सिवायचक दर्ज करने के नामा0 की जानकारी होने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। ऐसी स्थिति मे डिले सद्भाविक होने से कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जावे। रेस्पो0 की ओर से अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटी भेरू आ0 अमरा जाति कराड निवासी ग्राम पराना को दिनांक 26.10.1977 को ग्राम पराना की भूमि खसरा सं0 528/229 रकबा 10 बीधा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 530/230 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम डाबी द्वारा किया गया है जो उसकी गैरखातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार तालेडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र नियम 14(4) का आवंटित कृषि भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने तथा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे नही लेने तथा भूमि अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित (बेचान) करने के कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वादग्रस्त उक्त आराजी का आवंटन निरस्त करने का दिनांक 17.4.2021 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया है जो नेचुलरल जस्टिस के विपरीत है। इस संबर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दिनांक 16.4.2018 की तारीख मुर्करर कर तारीख पर उपस्थित होने बावत नोटिस जारी किया गया है जिसकी तामील, तामीलकुनिन्दा द्वारा दौ गवाहो के समक्ष खुल्ले मकान पर चस्पादगी कर कराई गई तथा नियत उक्त तिथी पर अपीलांट के उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये बहस हेतु आगामी ता0 पेशी 17.4.2018 मुर्करर कर बहस सुनी जाकर जेरअपील आदेश पारित किया है जिसमे हमे किसी प्रकार का प्रक्रियात्मक दोष प्रकट नही होता है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि आवंटन के समय से आज तक वह भूमि पर काबिज है आवंटित भूमि मे कोट कर बाडा बना रखा है। भू माफियाओं ने उक्त भूमि को

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

हडपने के लिए हल्का पटवारी से मिलकर काश्त नही होने बावत रिपोर्ट करवाई एंव तहसीलदार से मिलीभगत करके उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने के लिये उक्त कार्यवाही की गई। अपीलांट द्वारा अपने तर्क के समर्थन मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे ऐसे कोई आधार अभिलेख/दस्तावेजात पेश नही किये है जिससे उसके कथन की पुष्टि होती हो। इसके विपरीत जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 1.8.2017 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है। मौका रिपोर्ट ग्रामवासीयान की उपस्थिति मे तैयार की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय इकरारपत्र की फोटो कापी के अवलोकन से भी आवंटी भैरू आ0 अमरा कराड द्वारा दिनांक 7.4.93 को उक्त भूमि घीसूलाल आ0 केशरीमल औझा नि0 पीपलुन्द जिला भीलवाडा को इकरारपत्र लिखकर विक्रय कर दिया जाना प्रकट होता है अतः स्पष्ट है, गैरखातेदार ने आवंटित भूमि को अन्तरण किया है जबकि गेरखातेदार को भूमि विक्रय करने के अधिकार नही है और न ही नियमान्तर्गत गैर खातेदार को भूमि के संबध मे इस तरह का इकरारपत्र लिखने का अधिकार है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लधन किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थं न्यायालय ने भी प्रकरण मे समुचित तथ्यों का विवेचन करते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 17.7.2018 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नही होता है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद/हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा